FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0075 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/05/2024 16:48 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 16/01/2024 **Date To (दिनांक तक):** 16/01/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 15:20 बजे **Time To (समय तक):** 17:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/05/2024 **Time (समय):** 15:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/05/2024 16:48:46 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 2 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** MADRPUR ROAD BHARTPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANOJ KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BRJENDAR SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE BRTAYE, CHIKSANA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE BRTAYE, CHIKSANA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9587715460

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJKUMAR		पिता:BHMBHURAM	1. VILLAGE PASTA,DEEG,डीग, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि पॉच हजार रूपये माँंग करन	5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतुपर। विषय- रंगें हाथों पकडवाने बाबत्। श्रीमान जी उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे खिलाफ मु. नं.-288/23 थाना चिकसाना पर आईपीसी की धारा 420 के अन्तर्गत दर्ज हुआ था। जिसमें श्री राजकुमार एएसआई थाना चिकसाना को अनुसंधान अधिकारी नियुक्ति किया था हमने श्री राजकुमार एएसआई सहाव से मुकदमें में एफ आर लगाने की बात की तो एफआर लगाने के एएसआई साहब द्वारा 15,000/-रूपये की मॉग की फिर हमारा 10,000/-रूपये में तय हो गया और 3500/-रूपये हमने तुरन्त दे दिये और अब हमसे 6500/-रूपये की बार बार मॉग कर रहे है और अब इसको 6500/- रूपये नहीं देना चाहता हू। अब मैं उसे रगे हाथों पकडवाना चाहता हॅू। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त अधिकारी को रंगे हाथों पकडने की कृपा करें ।श्रीमान जी की सेवामें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है कानूनी कार्यवाही की जावें। दिनांक-16/1/2024 एसडी मनोज कुमार प्रार्थी मनोज कुमार पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बरताई पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर मों0 9587715460एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 16.01.2024 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है दिनांक 16.01.2024 समय- 03.20 पी .एम, पर एसीबी चौकी भरतपुर पर परिवादी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह जाति जाट उम्र 35 साल निवासी ग्राम बरताई पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर व सहपरिवादी श्री चैनसिंह पुत्र श्री फोरन सिंह जाति जाट उम्र-57 साल निवासी नगला बरताई पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वंय के आधार कार्ड की छायाप्रति व पुलिस थाना चिकसाना में दर्ज एफआईआर नं0 288/23 की प्रति के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर को सम्बोधित करते हुए इस आशय की पेश कि मेरे खिलाफ मु. नं.-288/23 थाना चिकसाना पर आईपीसी की धारा 420 के अन्तर्गत दर्ज हुआ था। जिसमें श्री राजकुमार एएसआई थाना चिकसाना को अनुसंधान अधिकारी नियुक्ति किया था हमने श्री राजकुमार एएसआई सहाव से मुकदमें में एफ आर लगाने की बात की तो एफआर लगाने के एएसआई साहब द्वारा 15,000/-रूपये की मॉग की फिर हमारा 10,000/-रूपये में तय हो गया और 3500/-रूपये हमने तुरन्त दे दिये और अब हमसे 6500/-रूपये की बार बार मॉग कर रहे है और अब इसको 6500/- रूपये नहीं देना चाहता हू। अब मैं उसे रगे हाथों पकडवाना चाहता हॅू।अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त अधिकारी को रंगे हाथों पकडने की कृपा करें ।श्रीमान की सेवामें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है कानूनी कार्यवाही की जावें। उक्त लिखित रिपोर्ट पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह द्वारा परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि उक्त लिखित तहरीरी रिपोर्ट मेरे साथ आये मेरे गॉव के चैनसिंह जी ने लिखी है जो रिश्ते में मेरे चाचा लगते है। उक्त रिपोर्ट पर मेरे स्वंय के हस्ताक्षर हैं। मेरे खिलाफ पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 288/23 का अनुसंधान थाने के एएसआई राजकुमार कर रहे हैं जो मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमें में एफआर लगाने की एवज में मेरे से 3500/- रूपये ले चुके है और 6500/-रूपये रिष्वत की मांग कर रहा है व उक्त लिखित रिपोर्ट के संबंध में सहपरिवादी चैनसिंह से पूछा गया तो बताया उक्त रिपोर्ट मेरे द्वारा लिखी गई है जिस पर मनोज के हस्ताक्षर है। श्री राजकुमार एएसआई 6500/-रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है व श्री राजकुमार एएसआई अभी भरतपुर ही आ रहा है व फोन कर एमएसजे कॉलेज के पास बुलाया है । उक्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इसके बाद समय- 04.00 पी .एम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को मय एसडी कार्ड जरिये मालखाना प्रभारी श्री अवधेश हैड कानि0 नं0 68 से कार्यालय के मालखाना से निकलवा कर परिवादी श्री मनोज कुमार व सहपरिवादी चैनसिंह को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि. नं.-203 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी मनोज कुमार को आरोपी के पास जाने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द करे। परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मंाग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी सहपरिवादी एवं कानि0 परसराम को सहपरिवादी की निजी कार से एमएसजे कॉलेज के पास भरतपुर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 05.15 पी .एम पर परसराम कानि.

मय परिवादी मनोज कुमार व सहपरिवादी चैनसिंह के बाद रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी द्वारा सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित लेकर उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि मैं व चैनसिंह व कानि. परसराम आपके कार्यालय से रवाना होकर एमएसजे कॉलेज भरतपुर के पास पहूच कर जहॉ श्री राजकुमार एएसआई से सम्पर्क किया तो उसने हमें मर्डरपुर रोड पर मैरिज होम के पास बुलाया जहॉ आरोपी श्री राजकुमार एएसआई से मेरी वार्ता हो गई है आरोपी राजकुमार एएसआई ने मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमें में एफआर लगाने की एवज में 5000/- रूपये रिश्वत की मॉग की है व कल दिनांक 17.01.24 को मुझे चिकसाना पुलिस थाने पर ही बुलाया है । मैने राजकुमार एएसआई से हुई बार्तालाप को इस डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को परसराम कानि. को सुपुर्द कर उक्त सारी वार्तालाप मैने मेरे साथ गये कानि. परसराम को बताई । कानि. परसराम व सहपरिवादी चैनसिह ने परिवादी द्वारा बताई वार्तालाप की ताईद की । प्राप्त शुदा डिजीटल वॉइस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। परिवादी द्वारा बताई गई उक्त वार्तालाप सही पायी गई । परिवादी ने बताया कि मेरे मुझे घर पर आवश्यक कार्य है व अभी मेरे पास आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि नही है, मैं घर से आरोपी को देने हेतु रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आपके पास कल दिनांक 17.01.24 को उपस्थित आ जाऊगा। वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया परिवादी व सहपरिवादी के उपस्थित आने पर रिकॉर्ड वार्तालाप का रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जाकर डीवीडीयॉ तैयार की जावेगीं। परसराम कानि. से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया, फर्द शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 05.45 पी .एम पर परिवादी व सहपरिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता रखते की आवष्यक हिदायत देकर दिनांक 17.01.2024 को समय 09.00 एएम पर रिश्वत राशि 5000 रूपये के साथ उपस्थित होने हेतु हिदायत देकर रूखसत किया। इसके बाद दिनांक 17.01.2024 समय 09.30 ए.एम पर पूर्व से पाबन्दषुदा परिवादी मनोज कुमार व सहपरिवादी चैनसिंह आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 5000 लेकर उपस्थित कार्यालय आया जिसे कार्यालय में ही बिठाया गया। इसके बाद समय- 09.45 ए.एम पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में परिवादी मनोज कुमार व सहपरिवादी चैनसिंह एवं आरोपी राजकुमार एएसआई के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को कम्प्यूटर में सेव किया गया। रूबरू गवाहान व परिवादी,सहपरिवादी के समक्ष डीवीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी सहपरिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। डीवीडी की और दो डीवीडीयॉ तैयार करवायी गई। मूल डीवीडी एवं मुल्जिम डीवीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल डीवीडी एवं मुल्जिम प्रति डीवीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम डीवीडीयों को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री अबधेष हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। वाईस रिकार्डर में से मैमोरी कार्ड को निकाल कर जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की मूल वार्ता है उक्त कार्ड को एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी में बन्द कर प्लास्टिक की डिब्बी को सफेद कपडे की थैली में रख कर सील्ड मोहर कर मार्क"M"अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करा सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री अबधेश हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 12.05 पी.एम पर परिवादी मनोज कुमार ने बताया कि मेरे रिश्तेदारी में मृत्यु हो जाने से मुझे वहॉ जाना आवश्यक है 4-5 दिन लगेगे उसके बाद उपस्थित आ जाऊगा। इस पर परिवादी व सहपरिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता रखते की आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत राशि 5000 रूपये के साथ उपस्थित होने हेतु हिदायत देकर रूखसत किया वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया । इसके बाद दिनांक 22.01.24 समय- 05.00 पी.एम पर परिवादी श्री मनोज कुमार से जरिये टेलीफोन वार्ता की गई तो परिवादी से सम्पर्क नहीं हो पाया तत्पश्चात सहपरिवादी श्री चैनसिंह से जरिये फोन सम्पर्क किया तो सहपरिवादी श्री चैनसिंह ने बताया कि मनोज कुमार किसी रिश्तेदारी में गया हुआ है एक दो दिन में आने पर हम दोनो कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित हो जायेगें। इसके बाद दिनांक 19.03.2024 समय 10.15 ए.एम पर परिवादी मनोजकुमार उपस्थित कार्यालय आया और मन अति पुलिस अधीक्षक को बताया कि दिनांक 16.01.24 को मेरी रिश्तेदारी में मृत्यु हो जाने से 10-12 दिन के लिए मैं रिश्तेदारी में चला गया था इसके बाद मेरे चाचाजी के बीमार हो जाने व खेती के कार्य में व्यस्त होने से नही आ सका । आज मैं अपने कार्य से निवृत होकर आपके कार्यालय में आया हॅू। इसके बाद समय 10.30 ए.एम पर परिवादी मनोज ने एक प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पेश किया कि श्री राजकुमार एएसआई को मेरे ऊपर शक हो गया है अब मेरे से रिश्वती की राशि नहीं लेगा अग्रिम कार्यवाही कराने की कृपा करें । इसके बाद समय 11.45 एएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 55 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। इसके बाद समय 12.10 पी..एम पर परिवादी मनोज को बाद कार्यवाही रूकसत किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी राजकुमार एएसआई द्वारा परिवादी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह जाति जाट उम्र 35 साल निवासी ग्राम बरताई पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर से सहपरिवादी चैनसिंह के समक्ष परिवादी मनोज के विरूद्ध पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर में दर्ज मुकदमा .-288/23 धारा 420 आईपीसी में एफआर लगाने के की एवज में परिवादी मनोज कुमार से

1500/- रूपये पूर्व में लेना दौराने सत्यापन स्वीकार करना व 5000 /- रूपये की और मॉग करना व शक होने पर परिवादी से रिश्वती राशि नहीं लेने का आरोप आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म जैर दफा 7 भ्रष्टचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया बनना पाया गया है। अतः आरोपी राजकुमार पुत्र श्री भम्मूराम जाति जाट उम्र 46 साल निवासी ग्राम पास्ता पुलिस थाना डीग जिला डीग हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संषोधित वर्ष 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (अमित सिंह) अति. पुलिस अधीक्षक, एसीबी भरतपुर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजकुमार पुत्र श्री भम्मूराम निवासी ग्राम पास्ता पुलिस थाना डीग जिला डीग हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपार्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम रपट 118 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक.प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 374-77 दिनांक 08.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2 पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर । पुलिस अधीक्षक.प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/05/2024 17:39:52

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	28/03/1998				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)